



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238767
CG-DL-E-13092022-238767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4076]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944

No. 4076]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

का.आ. 4257(अ).—केंद्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड-(ii), तारीख 30 जून, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ.2980 (अ), तारीख 28 जून, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

(i) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5 (क) श्री पी. रवींद्रन

-

सदस्य;

पुन्नमपरम्बिल, पोनकुन्नम पी.ओ,

कोट्टायम जिला, केरल

- 5 (ख) श्री सी.एस.सोमनपिल्लई - सदस्य ;";
चक्कनिक्कल (एच), मंगराम , कोन्नी पी.ओ
पथानमथिट्टा , केरल,
- (ii) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "7(क) श्री कोरह. सी. जॉर्ज - सदस्य;
चेम्पाकसेरिल , कोलाड
कोट्टायम, केरल
- 7(ख) श्री टी.पी. जॉर्जकुट्टी - सदस्य;";
थरक्कुनेल हाउस, पुलिक्कल कवला ,
पी.ओ कोट्टायम, केरल
- (iii) क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
- "8(क) श्री कालोल डे - सदस्य ;
मधुरिलता प्लांटेशन, द्वारा गोमती फिशिंग मैटेरियल कं.
पुरानी नगर पालिका रोड, अगरतला 799001
- 8 (ख) श्री जी.कृष्णा कुमार - सदस्य;
प्रबंध निदेशक, रुबफिला इंटरनेशनल लिमिटेड और
प्रीमियर टिश्यूज इंडिया लिमिटेड,
एनआईडीए, मेननपारा रोड, कांजिकोडे ,
पलक्कड, केरल 678621
- 8(ग) श्री बिप्लव कर - सदस्य;
जोयनगर, एच.जी.बी. रोड, अगरतला ,
त्रिपुरा (डब्ल्यू)
- 8(घ) श्री एम.पी. राजीवन - सदस्य ;
मरयिल लेन, चित्तूर रोड,
कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल 682018
- 8 (ड.) श्री के. विश्वनाथन - सदस्य;
शारदा नगर, पार्वतीपुरम ,
नागरकोइल , कन्याकुमारी, जिला तमिलनाडु 629003
- 8(च) श्री वसंत अन्नालाइक - सदस्य;
एनालाइक हाउस, कोयिला ,
बन्तवाल तालुक, कर्नाटक 574211
- 8(छ) श्री के.ए.उनीकृष्णन - सदस्य;
कूवलमनिकराथिल हाउस,
चलक्कुडी पी.ओ., कूडापुझा, केरल 680307

8(ज) श्री केशव भट्ट मुलिया - सदस्य;
सरस्वती निलय , मुलिया , गुट्टीगरु ,
सुलया तालुक , कर्नाटक 574218

8(झ) श्री सत्येंद्र सिंह, - सदस्य;"।
58/293, एफ 1 सी, श्याम नगर, वीआईपी रोड,
आगरा, उत्तर प्रदेश 282001

[फा. सं. के. 40011/1/2020 – बागान – ग]

डॉ. कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 30 जून 2022 में अधिसूचना संख्याक का.आ. 2980(अ), तारीख 28 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

S.O. 4257(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) read with rules 3 and 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Rubber Board for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 2980(E), dated the 28th June, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 30th June, 2022, namely:-

In the said notification,-

(i) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

- “5(a) Shri P. Raveendran - Member;
Punnamparambil, Ponkunnam PO,
Kottayam District, Kerala
- 5(b) Shri C.S.Somanpillai - Member;”;
Chakkanikkal(H), Mangaram, Konni PO
Pathanamthitta, Kerala,

(ii) after serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

- “7(a) Shri Korah. C.George - Member;
Chempakasseril, Kollad
Kottayam, Kerala
- 7(b) Shri T.P. Georgekutty - Member;”;
Tharakkunnel House, Pulickal Kavala,
P.O. Kottayam, Kerala

(iii) after serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

- “8(a) Shri Kallol Dey - Member;
Madhurilata Plantations, C/o Gomti Fishing Material Co.
Old Municipality Road, Agartala 799001

8(b)	Shri G.Krishna Kumar Managing Director, Rubfila International Ltd. & Premier Tissues India Ltd., NIDA, Menonpara Road, Kanjikkode, Palakkad, Kerala 678621	-	Member;
8(c)	Shri Biplab Kar Joynagar, H.G.B. Road, Agartala, Tripura (w)	-	Member;
8(d)	Shri M.P.Rajeevan Marayil Lane, Chittoor Road, Kochi, Ernakulam , Kerala 682018	-	Member;
8(e)	Shri K.Vishwanathan Sharada Nagar, Parvathipuram, Nagercoil, Kanyakumari Distt., Tamil Nadu 629003	-	Member;
8(f)	Shri Vasanth Annalike Annalike House, Koyila, Bantwal Taluk, Karnataka 574211	-	Member;
8(g)	Shri K.A.Unnikrishnan Koovalamnikarathil House, Chalakkudy P.O., Koodapuzha, Kerala 680307	-	Member;
8(h)	Shri Keshava Bhat Muliya Saraswathi Nilaya, Muliya, Guttigaru, Sullya Taluk, Karnataka 574218	-	Member;
8(i)	Shri Satyender Singh, 58/293, F1c, Shyam Nagar, Vip Road, Agra, Uttar Pradesh 282001	-	Member;”.

[F. No. K-40011/1/2020-Plant-C]

Dr. KRISHAN KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide notification number S.O. 2980(E), dated the 28th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th June, 2022.